फर्द अहकाम

शांति देवी व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य

वाद पत्र 280/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.10.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 20/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 7790-96 7/11/24 नोटिस तामील की
20/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/12/24 को पेश हो।	
1/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया जाने का निवेदन किया विज्ञा के आधार प्रकरण का निस्तारण किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तीकरण के बाद समयोल दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	